

CPSEs हेतु विशेष सेल योजना

- ♦ वित्त मंत्रालय ने हाल ही में केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों (CPSEs) की गैर-प्राथमिक परिसंपत्तियों के मौद्रिकरण में तेजी लाने हेतु निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के तहत एक विशेष सेल स्थापित करने की योजना बनाई है।
- ♦ यह केंद्र सरकार की गैर-प्राथमिक परिसंपत्तियों, मुख्य रूप से भूमि और भवन, के मौद्रिकरण के लिये प्रक्रिया और तंत्र अपनाने की समग्र योजनाओं का एक हिस्सा है।
- ♦ नीति आयोग पहले से ही इस प्रकार की लगभग 35 कंपनियों की पहचान कर चुका है जो मुक्त बाजार में एकमुश्त बिक्री के लिये जा सकते हैं।

घोषणा के प्रमुख बिंदु

- ♦ इसके तहत नीति आयोग द्वारा CPSEs कंपनियों की गैर-प्राथमिक परिसंपत्तियों की सूची तैयार की जाएगी।
- ♦ इस सूची पर परामर्शदाता समूह के साथ चर्चा के बाद परिसंपत्तियों को अलग-अलग कर बेचा जा सकता है।
- ♦ इस समूह में प्रशासनिक मंत्रालयों, आर्थिक मामलों के विभाग, निवेश विभाग और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन के अधिकारी शामिल हैं।
- ♦ वित्त मंत्री की अध्यक्षता में विनिवेश पर वैकल्पिक तंत्र द्वारा नीति आयोग की रिपोर्ट ली जाएगी, जिसके बाद CPSEs और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय मौद्रिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।
- ♦ संपत्ति मौद्रिकरण विभाग उन लोगों की अचल संपत्ति की बिक्री से संबंधित मामलों को भी देखेगा जो अब भारत के नागरिक नहीं हैं अथवा चीन या पाकिस्तान जैसे देशों में निवास करने लगे हैं।

पृष्ठभूमि

- ♦ गैर-प्राथमिक परिसंपत्तियाँ ऐसी संपत्तियाँ हैं जो या तो आवश्यक नहीं हैं या कंपनी के व्यावसायिक कार्यों में उपयोग नहीं की जाती हैं। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में रणनीतिक विनिवेश और शत्रु संपत्ति के संरक्षण के तहत अचल संपत्तियों के मौद्रिकरण के लिये संस्थागत ढांचा तैयार करने की मंजूरी दी है।
- ♦ CPSEs परिसंपत्तियों के मौद्रिकरण की योजना वित्त मंत्रालय की रही है जिसके तहत नीति आयोग इन कंपनियों की प्रत्येक गैर-प्राथमिक परिसंपत्तियों की सूची तैयार करेगा।

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM)

- ♦ 14 अप्रैल, 2016 से विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) कर दिया गया।
- ♦ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी के विनिवेश सहित इक्विटी में केंद्र सरकार के निवेश से संबंधित सभी मामले दीपम (DIPAM) देखता है।
- ♦ बिक्री या निजी प्लेसमेंट या पूर्ववर्ती केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केंद्र सरकार की इक्विटी की बिक्री से संबंधित सभी मामले भी दीपम (DIPAM) के तहत आते हैं।

विनिवेश नीति

- ♦ विनिवेश नीति काफी हद तक संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति के संबोधन तथा संसद में दिए गए वित्त मंत्रियों द्वारा अपने बजट भाषणों में दिए गए वक्तव्यों के माध्यम से विकसित हुई है।

नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- ♦ सरकारी क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्र की संपत्ति हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए यह संपत्ति आम जनता के हाथों में होनी चाहिए, CPSEs में जन-स्वामित्व को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- ♦ सूचीबद्ध CPSEs में अल्पांश बिक्री के माध्यम से विनिवेश करते समय सरकार अधिकांश अर्थात् कम से कम 51 प्रतिशत शेयरधारिता और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का प्रबंधन नियंत्रण अपने पास रखेगी।

विनिवेश संबंधी दृष्टिकोण

- ◆ अल्पांश हिस्सेदारी के माध्यम से विनिवेश।
- ◆ सामरिक विनिवेश।
- ◆ CPSEs में भारत सरकार के निवेश का व्यापक प्रबंधन।

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. विनिवेश या तो किसी निजी कंपनी के साथ किया जा सकता है या उसके शेयर पब्लिक में जारी किया जा सकता है।
 2. विनिवेश में सरकार अपने 51% से अधिक के हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेच देती है।
 3. निजीकरण किसी कंपनी का आंशिक विनिवेश होता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) उपर्युक्त सभी

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न- वर्तमान में बदलते बाजार समीकरण, निजीकरण के तरफ झुकाव को प्रोत्साहित कर रहे हैं जहां सरकार कारोबार से हट कर सार्वजनिक हित के नीतियों पर अधिक ध्यान दे पाये, जिससे कल्याणकारी राष्ट्र-राज्य की अवधारणा को प्राप्त किया जा सके। इस कथन के आलोक में निजीकरण और विनिवेश को स्पष्ट करते हुए चर्चा करें कि अर्थव्यवस्था के लिए निजीकरण विनिवेश से ज्यादा लाभदायक विकल्प है।